

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

संयुक्त विकास आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर ।

पत्रांक— सी-0024 / बजट / 2017-2018 लखनऊ :: दिनांक :: 22 नवम्बर, 2017

विषय— वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515 के अर्न्तगत 04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अर्न्तगत मानक मद-01 वेतन में धनराशि का आवंटन। महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-5/2017/349/38-3-2017-1101/2017 दिनांक 27 अप्रैल,2017 व शासनादेश संख्या-6/2017/1214/38-3-2017-1101/2017 दिनांक 04 अगस्त,2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय" के अर्न्तगत दी गयी स्वीकृति क्रमशः रूपये 5,79,07,000.00 व रूपये 8,28,50,000.00 कुल रूपये 14,07,57,000.00 (रूपये चौदह करोड़ सात लाख सत्तावन हजार मात्र) में से संलग्न एलाटमेंट ग्रीड संख्या-C-0024-Budget-2017-18 दिनांक 17.11.2017 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 9,71,958.00 (रूपये नौ लाख इक्कत्तर हजार नौ सौ अट्ठावन मात्र) सुसंगत मदों में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपको आवंटित की जाती है:-

1- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

3- इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1195/दस -16/94 दिनांक 06 जून,1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम" के अर्न्तगत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक /प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 90 पर अंकित कर ली गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्ण रिक्न्साइल्ड मासिक व्यय विवरण (बी0एम04) डी0डी0ओ0 रिक्न्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)

अपर आयुक्त (वित्त)

ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-22/11/2017

प्रेषण संख्या:- 001-C.0024.Budget.JDC.2017.18
आवंटन आदेश संख्या:- 001-C.0024.Budget.JDC.2017.18
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
001 - निदेशन तथा प्रशासन
04 - विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	योग
1	कानपुर नगर-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि0, --01--	वर्तमान प्रगामी	971958 9159882	971958 9159882
	योग	वर्तमान प्रगामी	971958 9159882	971958 9159882

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ लाख इकत्तर हजार नौ सौ अट्ठावन
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकानवे लाख उनसठ हजार आठ सौ बयासी

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त- वित्त